



प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं अध्यक्ष,  
बेसिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2026

विषय: **वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए टियर-1 खाते में सरकारी अंशदान की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या-वेतन/अनुदान प्राप्ति/1/4156-59/2026-27, दिनांक 15.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-71 के लेखाशीर्ष- '2071-01-117-03-33 मद' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/ सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूलों में शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए टीयर-1 खाते में सरकारी अंशदान हेतु प्राविधानित धनराशि रू० 330000.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय 06 माह हेतु रू० 165000.00 लाख (रूपये सोलह अरब पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-71 के अंतर्गत लेखाशीर्ष-'2071-01-117-03-33 मद' में प्रथम 06 माह हेतु शासनादेश संख्या-112/2026-1/1292594/2026-68-5002/1/2025, दिनांक 10.04.2026 द्वारा रू० 165000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखाशीर्ष-2071-01-117-03-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 330000.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय 06 माह हेतु **रू० 165000.00 लाख (रूपये सोलह अरब पचास करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिस प्रयोजन/कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।
- (2) अगली वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) उक्त आवंटित धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु ही किया जायेगा।

(5) वित्तीय व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ-01-सिविल- 117-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान-03-प्राथमिक विद्यालय/ सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए टियर-1 खाते में अंशदान- 33- पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,  
अवधेश कुमार तिवारी  
विशेष सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- 3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 6- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
- 9- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
अवधेश कुमार तिवारी  
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।